आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–आपूर्ति अपील वाद संख्या–03/2017–18 पम्पी कुमारी वनाम् राज्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
01.08.2017	*आदेश* प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 03/2017–18 पम्पी कुमारी, पिता–अमोद प्रसाद सिंह, ग्राम–गौड़ाचक, प्रखंड–अलौली, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 157 अनु0 आपूर्ति, दिनांक 20.05.2017 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में अपीलकर्त्ता द्वारा कहा गया है कि दिनांक 24.04.2017 को जिला स्तर से गठित टीम द्वारा जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं की दुकान की जांच करायी जा रही थी। अपीलार्थी के दुकान पर 02.35 बजे अपराह्न में श्री वासुदेव कश्यप, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, खगड़िया दुकान पर पहुँचे। दुकान खुला हुआ था और बिक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था। निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किया गया। भंडार एवं बिक्री पंजी संधारित था, कैशमेमो एवं अन्य पंजी उचित ढंग से संधारित था। जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 133/सी0, दिनांक 05.05.2017 द्वारा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि औचक निरीक्षण के क्रम में बिक्रेता द्वारा जांच में किसी भी प्रकार की सहयोग नहीं की गयी और किसी भी प्रकार की पंजी दिखाने से इंकार करते हुए दुकान बंद कर चले गये। जो जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के आचरण के विपरित है तथा बिहार लक्षित सार्वजनिक बितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 का उल्लंघन है। उक्त के आलोक में बिक्रेता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। लेकिन उनके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 157/अनु0आपूर्ति, दिनांक 20.05.2017 से अनुज्ञप्ति संख्या 26ए/2007 को रद्द कर दिया गया जो कानून एवं न्याय संगत नहीं है। उनका यह भी कहना है कि बिक्रेता के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता का कोई शिकायत नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 157/अनु0 आपूर्ति, दिनांक 20.05.2017 को निरस्त करने का अनुरोध	

किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन से स्पष्ट है कि जिलाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 909/गो0, दिनांक 23.04.2017 के आलोक में श्री वासुदेव कश्यप, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, खगड़िया द्वारा दिनांक 24.04.2017 को अलौली प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत गौड़ाचक के जन बितरण बिक्रेता श्रीमती पम्पी कुमारी, ग्राम पंचायत गौड़ाचक के दुकान की जांच की गयी। जांच के समय बिक्रेता दूकान पर उपस्थित थी।

उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 133/सी0, दिनांक 05.05.2017 से श्रीमती पम्पी कुमारी, ग्राम पंचायत गौड़ाचक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी और उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाये जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 157/अनु0आपूर्ति, दिनांक 20.05.2017 के द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति संख्या 26 ए/2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि बिक्रेता का दुकान खुला हुआ था तथा उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था। निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किया गया। भंडार एवं बिक्री पंजी संधारित था, कैशमेमो एवं अन्य पंजी उचित ढंग से संधारित था। बिक्रेता के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता का कोई शिकायत नहीं है। विक्रेता एक महिला हैं और निरीक्षी पदाधिकारी के एकाएक दूकान पर पहुँचने के कारण भीड़ हो गयी तथा वे घबरा गयी। अपीलार्थी के स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 157/अनु0आपूर्ति, दिनांक 20.05.2017 से जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्रीमती पम्पी कुमारी, ग्राम पंचायत गौड़ाचक के अनुज्ञप्ति संख्या 26 ए/2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया जो कानून एवं न्याय संगत नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख में संलग्न गौड़ाचक पंचायत के वार्ड सदस्य द्वारा

अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सम्बोधित आवेदन पत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता दूकान पर बैठी थी। निरीक्षी पदाधिकारी के पहुँचने पर काफी भीड़ हो गयी और भीड़ के कारण घवरा गयी। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा आम उपभोक्ताओं से पूछताछ की गयी किसी ने भी शिकायत नहीं किया। उनके द्वारा जन वितरण बिक्रेता पर लगाए गए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। मुखिया ग्राम पंचायत राज गौड़ाचक अलौली द्वारा भी वार्ड सदस्य के उक्त आवेदन पर उल्लेखित बातों को सत्य बताया गया है तथा लगाए गए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिलाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 909/गो0, दिनांक 23.04.2017 के द्वारा अलौली प्रखंड अन्तर्गत जांच हेतु टीम गठित की गयी थी। उक्त आदेश के आलोक में श्री वासुदेव कश्यप, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, खगड़िया द्वारा दिनांक 24.04.2017 को अपीलार्थी के दुकान की जांच की गयी। जांच में किसी भी आम उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी और न हीं बिक्रेता के विरूद्ध पूर्व में कोई शिकायत प्राप्त होने का उल्लेख है। निरीक्षण के दौरान बिक्रेता के विरूद्ध कोई गंभीर आरोप नहीं पाया गया है। अपीलार्थी एक महिला हैं। जॉच पदाधिकारी के एकाएक पहुँचने पर वे घबरा गयी और सभी पंजियॉ एवं अभिलेख लेकर चली गयी। जबकि सभी पंजियॉ एवं अभिलेख संधारित थी। जिसकी छाया प्रति अपने स्पष्टीकरण के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को समर्पित की गयी थी, उसकी प्रति अपील आवेदन के साथ सलग्न किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 157/अनु0 आपूर्ति, दिनांक 20.05.2017 को निरस्त किया जाता है तथा अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया
1/8/17

समाहर्त्ता,
खगड़िया
1/8/17

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.

डी0 बी0 नं0 49 / विधि, दिनांक 21.8.2017

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

21/8/2017

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
13/8/17 खगड़िया।